क्रम संख्या–189

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 17, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 353/XXXVI (3)/2016/51(1)/2016

देहरादून, 08 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक, 2016"** पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2016)

डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट, देहरादून द्वारा प्रायोजित उत्तराखण्ड में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएँ

2 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "**विद्या परिषद**" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद अभिप्रेत है;

(ख) "**बोर्ड**" से विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी अन्य बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "**कुलाध्यक्ष**", "**कुलाधिपति**", "**कुलपति**" और "**प्रति-कुलपति**" से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति अभिप्रेत है;

(घ) "**कोर्ट**" से विश्वविद्यालय के कोर्ट अभिप्रेत है;

(ड.) "**निदेशक/प्राचार्य**" से संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "**विभाग**" से अध्ययन के विभाग अभिप्रेत है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) "**कर्मचारी**" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के सभी सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "**कार्यपरिषद**" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है;

(झ) "**संकाय**" से विश्वविद्यालय के संकाय अभिप्रेत है;

(ञ) "**छात्रावास**" से विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के निवास अभिप्रेत है;

(ट) "**संस्थान**" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्थान अभिप्रेत है;

(ठ) "**विहित**" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "**अभिलेखों और प्रकाशनों**" से विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों अभिप्रेत है;

(ढ) "**परिनियमों**" और "**अधिनियमों**" से विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमशः परिनियमों ओर अधिनियमों अभिप्रेत है;

(ण) "**छात्र**" से विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र अभिप्रेत है;

(त) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से आचार्य, सह–आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाए;

(थ) "लेखा अधिकारी", "कुलसचिव", "अतिरिक्त कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "सहायक कुलसचिव", "क्रय अधिकारी", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक", "अनुशासक" से क्रमशः विश्वविद्यालय के लेखा अधिकारी, कुलसचिव, अतिरिक्त कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, क्रय अधिकारी, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक, अनुशासक अभिप्रेत है;

(द) "ट्रस्ट" से डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट अभिप्रेत है जिसकी स्थापना वर्ष 12.08.2002 में श्री श्री 1008 नारायण स्वामी चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम से हुई थी तथा जिसका नया नाम 'डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट', दिनांक 15.09.2011 को संशोधित तथा परिष्कृत ट्रस्ट डीड द्वारा दिया गया और जिसे 15.09.2011 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, विकासनगर में पंजीकृत कराया गया। इस प्रकार श्री श्री 1008 नारायण स्वामी चैरिटेबिल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियाँ डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट के स्वामित्व में आती हैं;

(ध) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन ट्रस्ट द्वारा स्थापित रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3 (1) देहरादून, उत्तराखण्ड में ट्रस्ट द्वारा रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

4 ट्रस्ट जो प्रायोजक संस्था है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा या उसके द्वारा पूरी कर ली गई हैं:–

(क) ट्रस्ट द्वारा पूर्व में ही 10 एकड़ से अधिक परस्पर सटी हुई भूमि को अपने स्वामित्व में अधिग्रहित कर लिया गया है;

(ख) ट्रस्ट द्वारा खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर 20000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया से अधिक भवन का निर्माण किया जा चुका है;

(ग) ट्रस्ट द्वारा खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन के कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं में 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के उपकरण, फर्नीचर इत्यादि स्थापित किए जा चुके हैं;

(घ) ट्रस्ट द्वारा रू0 75 लाख की धनराशि से अधिक मूल्य की पुस्तकें क्रय की जा चुकी हैं एवं कम्प्यूटर, नेटवर्किंग आदि में व्यय किए जा चुके हैं;

(ङ.) ट्रस्ट द्वारा रू0 25 लाख की धनराशि से अधिक मूल्य की पुस्तकें क्रय की जा चुकी हैं;

(च) संस्था के ट्रस्टियों की नेटवर्थ रू0 30 करोड से अधिक है;

(छ) ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय के मूल भूत ढांचें के विकास में रू0 58 करोड़ से अधिक व्यय किए जा चुके हैं;

(ज) संस्था द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि वह प्रदेश सरकार की आरक्षण सम्बन्धित

नीति का पालन करेगा, उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यक्रमों के प्रवेश में 25 प्रतिशत का आरक्षण देगा, एवं उनके शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देगा एवं उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को समूह 'ग' व समूह 'घ' के सभी पदों पर नियुक्ति देगा;

(झ) ट्रस्ट द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि वह प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करेगा;

(ञ) ट्रस्ट द्वारा वचन दिया गया है कि वह विश्वविद्यालय में कम से कम पाँच परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेगा;

(ट) ट्रस्ट द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियामक संस्थाओं, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियमों/नियमों/विनियमों/ आदेशों का पालन करेगा।

विश्वविद्यालय का आरंभ 5 (1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय संचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव एवं उसके साथ जमा किये गए अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उपरोक्त वर्णित धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी कर ली गयी हैं, प्राधिकार पत्र निर्गत करेगी

विश्वविद्यालय के उद्देश्य 6 विश्वविद्यालय का उद्देश्य विभिन्न नियामक संस्थाओं/यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरुप विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा:–

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था करना;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, समाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तःक्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ 7 विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विभिन्न नियामक संस्थाओं/यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरुप विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) राज्य की सीमान्तर्गत विज्ञान, प्रोद्योगिकी, चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, कला इत्यादि पाठ्यक्रमों का संस्थागत केन्द्रों या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यमों से, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुर्वानुमति, जहां आवश्यक हो, से शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर एमेरिट्स के अलंकार से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ड.) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(च) यू0जी0सी0 की पूर्वानुमति से ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों/आवासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्याकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(थ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क एवं अन्य मदों में मूल्यों का निर्धारण करना उसकी मांग करना एवं उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और इसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रायोजनों के लिए ट्रस्ट के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के आडमान के रूप में उधार लेना या बन्धक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों परामर्शियों, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से अनुमोदित हों।

प्रवेश और मानक

8 (1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय उपचारिका परिषद् इत्यादि के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विशिष्ट परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9 विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें।

आरक्षण

10 संस्था प्रदेश सरकार की आरक्षण सम्बन्धि नीति का पालन करेगी, उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यक्रमों के प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण देगी, एवं उनके शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देगी एवं उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को समूह 'ग' व समूह 'घ' के सभी पदों पर नियुक्ति देगी।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी अन्य अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाध्यक्ष;

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति–कुलपति;

(ड.) संस्था का प्राचार्य या प्रधान;

(च) कुलसचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य-कुलानुशासक;

(ट) वित्त अधिकारी; और

(ठ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष 12 (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, यदि उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी–

(क) कुलाध्यक्ष विश्वविधालय के कार्यों से सम्बन्धित कोई भी पत्र, सूचना मांग सकता है;

(ख) यदि प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि विश्वविधालय के किसी अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय विश्वविधालय के अधिनियम, परिनियम अथवा नियमों के अनुरूप नहीं है तो वह कुलाधिपति को उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देश दे सकता है, जो कि विश्वविधालय के हित में हो तथा ऐसे किसी निर्देश का कुलाधिपति द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को विशष्ट सम्मान अथवा उपाधि देने का प्रस्ताव कुलाध्यक्ष को भेजा जाएगा तथा ऐसे किसी भी सम्मान अथवा उपाधि को देने से पूर्व कुलाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

कुलाधिपति 13 (1) ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति कुलाधिपति के रूप में तीन वर्ष के लिए की जाएगी।

(2) कुलाधिपति अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा, जो कि ट्रस्ट को सम्बोधित हो, त्याग पत्र दे सकता है।

(3) कुलाधिपति अपने पद के कारण विश्वविधालय का सर्वाच्च अधिकारी होगा और उसे विश्वविधालय की अन्तरिम अधिशासी समिति बनाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविधालय द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों इत्यादि के लिए आयोजित दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा।

कुलपति 14 (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा(2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि परिनियमों द्वारा की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे; अर्थात:–

(क) कुलाधिपति;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य,

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित एक सदस्य जो कि संयोजक के रुप में नामित किया जायेगा।

(3) कुलाधिपति को सम्यक जांच के उपरान्त, व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रदत् किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे विषय में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत कराएगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत्, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकेगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रति–कुलपति

15 (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किये जाएँ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

प्राचार्य

16 संस्था के प्राचार्य या प्रमुख की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यो का संपादन करेगा जो विहित किया जाए। प्राचार्य अपने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने और विद्यालय के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

कुलसचिव

17 (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी की वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

18 प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

वित्त अधिकारी

19 (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20 विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होगें जैसे विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे–

(क) कोर्ट;
(ख) कार्य परिषद;
(ग) विद्या परिषद;
(घ) वित्त समिति;
(ड.) नियोजन बोर्ड;
(च) संकाय बोर्ड;
(छ) प्रवेश समिति;
(ज) परीक्षा समिति ; और
(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

कोर्ट

22 (1) कोर्ट का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे अर्थात:–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुर्ननिरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना;

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा निजी निकायों के लिए, जहाँ यथाविहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जो विहित किया जाएं।

कार्य परिषद्

23 (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) प्रथम कार्यपरिषद का गठन ट्रस्ट द्वारा तीन माह के लिए किया जायेगा। उक्त अवधी के पश्चात् की कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि ओर इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाएँ।

विद्या परिषद्

24 (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अधिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की

शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाएँ।

वित्त समिति

25 (1) वित्त समिति वित्तीय विश्वविद्यालय की वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाएँ।

नियोजन बोर्ड

26 (1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाएँ।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27 संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाए, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएँ।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28 (1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी तथा प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमो को अनुमोदित कर दिया है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति ओर निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ड.) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कमचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए जिम्मा लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करना;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करना;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को निर्धारित करने वाला सिद्धान्त

बनाना;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करना;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् में अपील करने की प्रकिया निर्धारित करना;

(ञ) सम्मानार्थ मानद उपाधियों को प्रदान करने हेतु कुलाधिपति एवं कुलाध्यक्ष को प्रेषित करना ;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टयों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों ओर पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाए रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना;

(ण) वित समिति द्वारा पाठ्यक्रमों की शुल्क ढाँचा तैयार करना;

(त) प्रवेश समिति द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में नियमानुसार सीटों की संख्या, प्रवेश प्रकिया, प्रवेश परीक्षा, मेरिट आदि तैयार करना, पास करना;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ; और

(द) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किए जा सकते हों।

(4) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनवायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सन्दर्भ में परिनियमों में उपबन्ध करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहें तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29 अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम/अधिनियम कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएगें। कार्य परिषद् द्वारा अधिनियमों के बनाए जाने के एक माह के अर्न्तगत अथवा उन्हें लागू किए जाने से पूर्व कुलाधिपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि किसी अधिनियम को लागू किया जा चुका हो तथा कुलाधिपति द्वारा उसके उपरान्त अधिनियम को अनुमति न देने का आदेश प्राप्त हो तो ऐसा अधिनियम तुरन्त प्रभाव से

निरस्त माना जाएगा। अधिनियम निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यकम का निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण विधि और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शैक्षणिक प्रविष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किए जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किए जाने वाले माध्यम;

(ड.) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यकमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की परिस्थितियां;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थाएँ यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यकमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डो, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों ओर सारणीयकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य निकाय शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों जिनकी सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

30 (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा विहित किया जाएगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31 (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से

अधिक नहीं होगा, कराई जाएगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों को कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण, यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाएँगे।

कर्मचारियों की सेवा

32 (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा/काम पर लगाया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद् के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत् किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जाएगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अपील करने का अधिकार

33 (1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं मे सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में अपने को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या निरस्त कर सकेगा।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अन्तिम होगा।

(3) कुलपति अपील का अधिकार स्वयं के विवेक से अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार,यू0जी0सी0 द्वारा समय–समय पर पारित नियमों के अनुसार बदल सकता है।

कल्याणकारी योजना

34 विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ, के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्यपरिषद द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकरण निगमों निकायों के गठन के बारे में विवाद

35 यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का संविधान

36 जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, भरा जाएगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

39 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य मे हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40 (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अधिनियम लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अधिनियम सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीध्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41 (1) विश्वविद्यालय राष्ट्रीयकृत बैंक की न्यूनतम पाँच करोड़ रुपये की फिक्सड डिपोजिट के रूप में एक स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगा जोकि उत्तराखण्ड सरकार को प्लेज्ड होगी।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42 (1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्:–

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए;

(ख) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के

लिए किया जाएगा।

विकास निधि

43 (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्:–

(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान;

(ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय;

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा;

निधि का अनुरक्षण

44 धारा 41, 42, एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

वित्तीय शर्तें

45 विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्ताधीन और नियंत्रणधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46 विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47 (1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जो राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय की धारा 52 के अधीन ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48 (1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय को व्यय

49 (1) धारा 48 के अधीन उसे प्रबन्धन करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों को निस्तारण करके

किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50 (1) राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय को शिकायत की मूलप्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो उचित समझे किन्तु जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए।

(2) यदि उपधारा (1) अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लधंन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्:—

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(5) यदि जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में इस अधिनियम का उल्लधंन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय को यह निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय ने निरन्तर तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जाएगी।

नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार का निर्देश देने का अधिकार	51	राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा बह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
विघटन/मान्यता रद्द होने पर सम्पत्तियों/उत्तरदायित्व की स्थिति	52	अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित हैं तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी प्रस्तावित न्यास से सम्बन्धित हो जायेंगे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

No. 353/XXXVI(3)/2016/51(1)/2016
Dated Dehradun, December 08, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Ras Bihari Bose Subharti University Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 35 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 December, 2016.

37/16

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा देहरादून क्षेत्र को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने का हर सम्भंव प्रयास कर रही है, इसी कम में देहरादून, के प्रेमनगर में अवस्थित रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् उत्तराखण्ड के निर्धन छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 विधायी / 606–2016–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।